न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

मु0नं0 21/17 तारीख रजू :—24.05.2017

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (R.A.S.)

रामबल पुत्र बिरदूराम जाति गुर्जर निवासी चिरावंडा तहसील नादौती जिला करौली।

.... सायल

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत गढमोरा पंचायत समिति नादौती जिला करौली।
2. सचिव ग्राम पंचायत गढमोरा पंचायत समिति नादौती जिला करौली।

.... गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :— 02.05.2018

प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गढ़मोरा में सायल की भूमि ख0नं0 1744 रकवा 0.60 हैक्टर किस्म बारानी—3 है जो सायल की खातेदारी एवं काश्तकारी भूमि हैं जिसमें काश्तकार सायल अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करता है। गैरसायलान का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है। सायल वृद्ध व्यक्ति है एवं सायल के कोई पुत्र भी नहीं है।

सायल की भूमि ख0नं0 1744 रकवा 0.60 हैक्टर भूमि अत्यंत उपयोगी भूमि है जिस पर गैरसायलान के द्वारा जबरन बीच खेत में होकर रास्ता निकालने की नियत से कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने की फिराक में हैं एवं आये दिन सायल की भूमि को वेस्ट एण्ड डैमेज करने एवं रास्ता निकालने की नियत से वादी को आये दिन धमकी देते है जबकि उक्त भूमि से गैरसायलान या अन्य किसी दिगर व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है।

वाकया दिनांक 16.05.2017 को सायल जब अपनी भूमि में मानसून पूर्व सूड अर्थात खेत की साफ सफाई कर रहा था तो गैरसायलान खेत पर आयें व कहा कि

अरे बुडढे तू इस खेत की साफ सफाई कर क्यों परेशान हो रहा है हम कल जेसीबी आदि मशीन लाकर तेरे खातेदारी के इस खेत में होकर सड़क का निर्माण कर राजकोष से पैसा उठायेगें जब मैनें कहा कि भाईयों तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो तो सरपंच जो मीना जाति का है ने कहा कि ज्यादा बोलेगा व विरोध करेगा तो तेरे उपर अभी मैं छुआछूत का केश लगा दूंगा तू जानता नहीं है कि एक सरपंच कितना बडा होता है अब मै तेरे इस खेत में होकर सड़क निकालकर ही दिखाउंगा और ऐसी धमकी देकर चले गयें।

गैरसायलान अपने उक्त कृत्य की पूर्ती में सफल हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार के दृव्य में संभव नहीं हो सकेगी। एवं मुकदमेंबाजी बढ़ेगी इसलिये गैरसायलान सं0 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के अधिकारी हैं इस प्रकार प्राईमाफेसी केश बखूबी साबित है।

गैरसायलान को अगर जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमा दिया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और अगर पाबन्द नहीं किया जाता है तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार के दृव्य में संभव नहीं है। इस प्रकार सुविधा एवं संतुलन का पक्ष भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेशकर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पाबन्द फरमाया जावे कि आराजीयात ख0नं0 1744 रकवा 0.60 हैक्टेयर स्थित ग्राम गढ़मोरा में होकर सड़क का निर्माण नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें एवं सायल के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को वास्ते पेश करने जबाव नोटिस जारी किया गया। नोटिस वाद तामील शामिल मिसल किये गये।

पत्रावली लोक अदालत/न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र गढमोरा में पेश हुई, जिसमें सायल व गैरसायलान को सुना गया। जिसमें सायल ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 1744 रकवा 0.60 हैक्टेयर स्थित ग्राम गढ़मोरा में होकर सड़क का निर्माण नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें एवं सायल के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

गैरसायलान् ने अपने पक्ष में कोई जबाव/सबूती दस्तावेजी पेश नहीं किये। अतः गैरसायलान का जबाव बन्द किया जाता है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उभय पक्षकारान् को सुना गया। एवं सुसंगत विधि को भी देखा जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्राईमा फेसी केश, सुविधा का संतुलन व अपूर्तिनीय क्षति तीनो ही बिन्दू सायल के पक्ष में होना प्रतीत होते है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट सायल विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे सायल के कब्जेकाश्त उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और न हीं किसी अन्य से करावें। उक्त आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर वाद तकमील नम्बर से कम होकर शामिल वाद रहें।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को लोक अदालत/न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गढमोरा में सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नादौती जिला करौली